भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3776
उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

सभी के लिए और सर्वसुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

†3776. श्रीमती संजना जाटव:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने यह नोटिस किया है कि सभी के लिए और सर्वसुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 45 मिलियन शिक्षकों की आवश्यकता है; और
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह ध्यान में रखते हुए कि गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने और बच्चों और उनके परिवार के जीवन को बेहतर बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महत्वपूर्ण है, प्रस्तावित की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए देश के अधिकांश स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। इसलिए, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के दायरे में आती है। इसके अलावा, भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और रिक्तियां कई कारकों के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण शिक्षकों की बढ़ती आवश्यकता आदि। देश का छात्र-शिक्षक अनुपात यूडाइज+ 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार 27:1 से बढ़कर यूडाइज+ 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार 25:1 हो गया है।

(ख): चूंकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों की है। केंद्र सरकार अपने स्वायत्त/वैधानिक निकायों यानी एनसीईआरटी, सीबीएसई, केविसं, जनवि, एनआईओएस और एनसीटीई तथा अपनी केंद्र प्रायोजित योजनाओं समग्र शिक्षा, पीएम पोषण, उल्लास, स्टार्स और पीएम श्री तथा राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से एनईपी 2020 के अनुरूप देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करती है। इस संबंध में उठाए गए कुछ अन्य प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने 26 अक्टूबर 2021 को चार (04) वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) को 4 वर्षीय दोहरे-प्रमुख समग्र स्नातक डिग्री के रूप में अधिसूचित किया है।
- सरकार ने शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) के संबंध में एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ जारी किया है। एनपीएसटी विभिन्न चरणों/स्तरों पर शिक्षकों की योग्यताओं को निर्धारित करता है। मार्गदर्शक दस्तावेज़ के ब्रेल और ऑडियो संस्करण विभाग के समावेशी शिक्षा प्रयासों के एक भाग के रूप में लॉन्च किए गए हैं।
- सरकार ने राष्ट्रीय परामर्श मिशन (एनएमएम) पर ब्लूबुक लॉन्च की है। एनएमएम पर ब्लूबुक में स्कूली शिक्षकों की क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए उन्हें परामर्श देने के विभिन्न तौर-तरीके शामिल हैं। विभाग के समावेशी शिक्षा प्रयासों के एक हिस्से के रूप में ब्लूबुक के ब्रेल और ऑडियो संस्करण लॉन्च किए गए हैं।
- विभाग ने पांच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से देश के सभी 613 कार्यात्मक डीआईईटी को उत्कृष्टता केंद्रों में उन्नयित करने का लक्ष्य रखा है। इस उद्देश्य के लिए, केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 92,320.18 लाख रुपये के बजट के साथ 125 डीआईईटी को उन्नयन के लिए अनुमोदन किया गया है।

- निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) - शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एनसीईआरटी द्वारा डिजाइन किया गया एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। निष्ठा को आगे निष्ठा 2.0, ईसीसीई और एफएलएन तक विस्तारित किया गया है।
- 'समग्र शिक्षा' के कौशल शिक्षा घटक के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को एनएसक्यूएफ से संबद्ध कौशल पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। अब तक कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली विद्यार्थियों के लिए कौशल विषय के रूप में 138 जॉब रोल्स को अनुमोदन दिया गया है।
- संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल सहित रोजगार कौशल मॉड्यूल को कौशल विषय का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के कौशल विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 81.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हब और स्पोक मॉडल प्रस्तुत किया गया है।
- विद्यार्थियों के लिए 10 बैग-लेस दिवस हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- मौलिक साक्षरता और संख्यात्मकज्ञान सुनिश्चित करने के लिए समझ और संख्यात्मकज्ञान के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत) शुरू की गई है।
- आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ एफएस) शुरू की गई है।अधिगम शिक्षण सामग्री (जादुई पिटारा) के साथ-साथ इसका डिजिटल संस्करण और कक्षा 1 और 2 के लिए पाठ्यपुस्तकें विकसित की गईं।
- स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) दिनांक 23 अगस्त 2023 को जारी की जाएगी।
- छात्र मूल्यांकन से संबंधित मानदंड, मानक, दिशानिर्देश निर्धारित करने और गतिविधियों को लागू करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) की स्थापना की गई है।
- बच्चों की प्रगति और अधिगम दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 04 दिसंबर, 2024 को आयोजित किया गया।
- समग्र विकास के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन, प्रारंभिक, मूलभूत, मध्य और माध्यमिक चरण के लिए समग्र प्रगति कार्ड तैयार किया गया है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रेड देने के लिए 73 संकेतक आधारित मैट्रिक्स परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) विकसित किया गया है। जिला स्तरीय परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) तैयार किए गए हैं और पीजीआई-जिला के संकलन के लिए एक वेब एप्लीकेशन विकसित किया गया है।
- विद्या प्रवेश-ग्रेड-1 के बच्चों के लिए तीन महीने के खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- शैक्षिक गतिविधियों और परिणामों की निगरानी में वृद्धि करने के लिए, दिनांक 06.09.2020 को एक केंद्रीय एआई-संचालित बड़ा डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) लॉन्च किया गया।
- पीएम ई-विद्या के तहत दीक्षा एक राष्ट्र, एक डिजिटल शिक्षा अवसंरचना है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दीक्षा में शामिल किया गया है।
- स्कूली शिक्षा के लिए स्वयं प्रभा के 12 डीटीएच चैनल उन लोगों की सहायता करने और उन तक पहुंचने के लिए हैं जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, उन्हें 200 चैनलों तक बढ़ा दिया गया है।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने माध्यमिक स्तर पर भारतीय सांकेतिक भाषा को एक विषय के रूप में शुरू किया है।
- समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण और ब्रिज पाठ्यक्रम जैसे तरीकों का उपयोग किया गया है तथा अधिगम कमी की पहचान करके और छात्रों को विशेष कक्षा के लिए आवश्यक मूल शिक्षण पूर्वापेक्षाओं से सुसज्जित करके, अधिगम में सुधार कार्यक्रम जैसे अधिक प्रगतिशील तरीकों को क्रियान्वित किया गया है।
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी गैर-साक्षरों को लक्षित करने वाली एक योजना "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास" का कार्यान्वयन।
- विद्यांजलि, स्कूल स्वयंसेवक प्रबंधन कार्यक्रम, देश भर में समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को सुदृढ़ करने के लिए शुरू किया गया।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 सितंबर, 2022 को केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) को अनुमोदित किया है। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को उजागर करना होता है और एक अवधि में अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरना होता है और पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करना होता है।

***